रजिस्ट्री सं० डी०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 22, 2013/फाल्गुन 3, 1934
No. 60] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 22, 2013/PHALGUNA 3, 1934

IndiaCode

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2013

सं. एन-10/3/2013-पीपीसी.—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 33 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 9 और धारा 11 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (कनिष्ठ अभियांत्रिकी) पद सेवा विनियम, 2002 का अधिक्रमण करते हुए, जहां तक तकनीशियन के पद का संबंध है, इस अधिक्रमण से पूर्व किए गए या छोड़े गए कार्यों के अतिरिक्त, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .—(i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) तकनीशियन भर्ती विनियम, 2013 है ।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, पे बैंड और ग्रेड पे या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, इनका पे बैंड और ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा जो इन विनियमों की संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** – (i) उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 12 में विनिर्दिष्ट हैं।

(ii) तकनीशियन संवर्ग की रिक्तियां प्रसार भारती भर्ती बोर्ड के परामर्श से प्रसार भारती द्वारा भरी जाएंगी।

4. **वरिष्ठता** – इन विनियमों के अंतर्गत भर्ती होने वाले तकनीशियन की पारस्परिक वरिष्ठता कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार होगी।

5. **निरर्हता:** वह व्यक्ति -

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या,

(ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

6. **नैमित्तिक कर्मियों के लिए आयु में छूट** : आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्टेशनों या केंद्रों में कार्यरत नैमित्तिक कर्मियों को तकनीशियन के रूप में उनकी नैमित्तिक आधार पर की गई सेवा अवधि तक सीधी भर्ती में आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

बशर्ते एक कलैंडर वर्ष में कम से कम एक सौ बीस दिनों की सेवा को एक वर्ष की सेवा के रूप में गिना जाएगा।

IndiaCode

स्पष्टीकरण – एततद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि इस विनियम के उद्देश्य के लिए की गई सेवा सीमा के निर्धारण हेतु नैमित्तिक आधार पर तकनीशियन के रूप में एक कैलेण्डर वर्ष में एक सौ बीस दिन की न्यूनतम कुल अवधि के लिए अनुबंध को एक वर्ष गिना जाएगा और एक कैलेण्डर वर्ष में एक सौ बीस दिन की अवधि से कम अनुबंध को इस आयु छूट के योग्य नहीं माना जाएगा।

7. **छूट देने की शक्ति** : जहां निगम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन और प्रसार भारती भर्ती बोर्ड से परामर्श करके, इन विनियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा छूट दे सकेगा।

8. **व्यावृत्ति** : सरकार द्वारा समय-समय पर जारी जिन आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है, उनसे संबंधित आरक्षण, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर इन विनियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

IndiaCode

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे या वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट आयु और शैक्षिक	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती से या पदोन्नति से या	पदोन्नति प्रतिनियुक्ति/ आमेलन ग्रेड जिससे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है, ऐसी भर्ती के संबंध में	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना

							योग्य-ताएं क्या पदोन्न ति के मामले में लागू होती हैं		प्रतिनि-युक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से रिक्तियों को भरने का प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
तकनी-शियन	*3014 (2013) * पदों में परिव-र्तन कार्य मात्रा के	ग्रुप "सी"	पे बैंड-I (रू.5200-20,200 और रू.2400/- ग्रेड पे	गैर-चयन पद	18 से 25 वर्ष के बीच (प्रसार भारती के कर्मचारियों को 40 वर्ष और नैमित्तिक	1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 पास 2) किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय या	लागू नहीं	दो वर्ष	1. 80% सीधी भर्ती द्वारा 2. 10% पदोन्नति द्वारा 3. 10% सीमित	**<u>पदोन्नति –</u>** प्रसार भारती में 11 वर्ष से ग्रेड में पहले से नियमित सेवा कर रहे हैल्पर। **<u>सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धा परीक्षा :</u>**	**<u>पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समीति</u>** 1. प्रसार भारती भर्ती बोर्ड के

IndiaCode

	अधीन होगा। टिप्पणी : प्रत्येक ग्रेड में पदों की संख्या उस ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या होनी चाहिए और किसी भी समय निगम में प्रति-				कर्मियों को नियम 6 के अनुसार छूट)। **टिप्पणी:** आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख	संस्था से इलैक्ट्रोनिक्स या दूरदसंचार इंजीनियरिंग में कम से कम 2 साल की अवधि का डिप्लोमा।			विभागीय प्रतिस्पर्धा द्वारा। **टिप्पणी:** प्रत्येक ग्रेड में किसी विशेष वर्ष में उत्पन्न रिक्तियां (सीधी भर्ती पदों के अलावा अन्य) फीड़र ग्रेड में कर्म-चारियों के दो	पांच वर्ष से ग्रेड पे में नियमित सेवा कर रहे हैल्पर जिन्होंने विभागीय प्रतिस्पर्धा परीक्षा के प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से पास की हो। (सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धा परीक्षा की योजना प्रसार भारती बोर्ड के परामर्श से निगम द्वारा एक आदेश के माध्यम से अधिसूचित की जाएगी।) जहां कनिष्ठ कर्मियों ने अपनी योग्यता/ अर्हता सेवा पूर्ण कर	अध्यक्ष या सदस्य: अध्यक्ष; 2.उपनिदेशक (अभियां-त्रिकी): सदस्य; 3.उपनिदेशक (प्रशासन): सदस्य; **स्थायीकरण के लिए विभागीय पदोन्नति समिति:** 1.उपनिदेशक (अभियांत्रिकी) : अध्यक्ष;

731 GI/13-2

IndiaCode

	नियुक्ति-वत सर-कारी कर्म-चारियों और निगम के अधि-कारियों और कर्म-चारियों की कुल संख्या से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।				होगी (परंतु वे अंतिम तारीख जो कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम लद्दाख, जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के				वर्गों द्वारा भरी जाएंगी अर्थात निगम द्वारा अधि-सूचित किए निगम के प्रतिनि-युक्तिवत सरकारी कर्मचारी और निगम के अधिकारी व कर्मचारी।	ली है, उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। उनके वरिष्ठ भी उच्च पद पर पदोन्नति के पात्र हैं बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हता/ योग्यता सेवा, इन अर्हता/ योग्यता सेवा की आधी से ज्यादा हो या 2 वर्ष जो भी कम हो और अगले उच्च ग्रेड की पदोन्नति के लिए परिवीक्षावधि सफलतापूर्वक पूरी हो गई हो जिसमें उनके कनिष्ठ भी शामिल हैं जिन्होंने अर्हता/ योग्यता सेवा पहले ही प्राप्त कर ली है।	2.उपनिदेशक (प्रशासन): सदस्य; 3) सहायक निदेशक (अभियांत्रिकी) : सदस्य।

IndiaCode

					लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उप प्रभाग, संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित						

IndiaCode

					नहीं होगी)।						

ब्रिगेडियर (अव. प्राप्त) वी.ए.एम. हुसैन, सदस्य (कार्मिक)

[विज्ञापन III/4/असा./163/12]

PRASAR BHARATI

(BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2013

No. N-10/3/2013-PPC.— In exercise of the powers conferred by section 9 and sub-section (5) of section 11 read with clause (d) of sub-section (2) of section 33 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990) and in supersession of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Junior Engineering Posts) Service Regulations, 2002, in so far as it relates to the post of Technician, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement – (1) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Technician) Recruitment Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, Pay Band and Grade Pay or Pay Scale - The number of said post, its pay band and grade pay or pay scale shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 12 of the said Schedule.

4. Seniority - The inter-se seniority of Technicians who are appointed under these regulations shall be in accordance with the general instructions issued by the Department of Personnel and Training from time to time.

121 GI/13-3

5. Disqualification - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

6. Age relaxation for casual assignees - The casual assignees working in the Stations or Kendras of All India Radio and Doordarshan performing the duties of Technician shall be eligible for relaxation of age for direct recruitment to the extent of their services rendered as Technician on casual basis;

Provided that a minimum of one hundred and twenty days service in a calendar year shall be reckoned as one year service.

Explanation – It is hereby clarified that for determining the extent of service rendered for the purpose of this regulation, engagement for a total minimum period of one hundred and twenty days in one calendar year in the post of Technician shall be taken as one year and their engagement for less than one hundred and twenty days in a calendar year shall not qualify for such age relaxation.

7. Power to relax – Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Prasar Bharati Recruitment Board, and with the prior approval of Central Government, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

8. Saving - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Technician	3014* (2013) *subject to variation dependent on the workload. Note: The numb	Group 'C'	PB 1: (Rs.5200-20200/-) and Grade Pay Rs. 2400/-.	Non-Selection post	Between 18 and 25 years. (Relaxable for employees of Prasar Bharati up to the age of 40 years.) <u>Note:</u> The crucial date for determining	i) 10 + 2 pass from any recognized Board; ii) Diploma of at least 2 years duration in Electronics or	Not applicable.	Two years.	(i) Eighty per cent by direct recruitment; (ii) Ten per cent by promotion; (iii) Ten per cent by Limited Departmental Competitive Examination. <u>Note:</u> The vacancies	<u>Promotion:</u> Helpers working in Prasar Bharati with eleven years of regular service in their grade. <u>Limited Departmental Competitive Examination:</u> Helpers with five years of	<u>Departmental Promotion Committee for promotion</u> :- 1. Chairperson or Member of Prasar Bharati Recruitment Board: Chairperson;

IndiaCode

	er of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deput				the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union	Telecommunication Engineering from a recognized University or Institute.			arising in a particular year in each grade (other than the direct recruitment posts) be filled up by two categories of employees in the feeder grades, i.e. the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be notified by the Corporation.	regular service in their grade and who have passed the departmental competitive examination with minimum fifty percent marks in each paper. (The Scheme for the Limited Departmental Competitive Examination shall be notified through an order by the Corporation, in consultation with the Prasar Bharati Recruitment Board.) Note:- Where juniors who have	2. Deputy Director (Engineering) : Member ; 3. Deputy Director (Administration): Member. Departmental Promotion Committee for confirmation :- 1. Deputy Director (Engineering) : Chairman; 2. Deputy Director (Administration): Member; 3. Assistant Director (Engineering): Member.

131 GI/13-4

IndiaCode

	ation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.				territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).					completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their	

IndiaCode

										juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.	

IndiaCode

Brig. (Retd.) V.A.M. HUSSAIN, Member (Personnel)

[ADVT.-III/4/Exty./163/12]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.